# राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
## अवधि 4/2013 से 3/2016

## भाग–एक

### 1 गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई।

**(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2010**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा संख्या 6 | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 2 | पैरा संख्या 10 | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |

**(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2013**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा संख्या 3 | निर्णीत | |
| 2 | पैरा संख्या 6 (1) | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 3 | पैरा संख्या 6 (2) | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 4 | पैरा संख्या 7 | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 5 | पैरा संख्या 8 | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 6 | पैरा संख्या 9 | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 7 | पैरा संख्या 10 | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 8 | पैरा संख्या 11 | निर्णीत | (कार्रवाई देख ली गई है) |
| 9 | पैरा संख्या 12 | निर्णीत | (वसूली रसीद सं0: 603, दिनांक 9.5.2016 द्वारा कर ली है) |
| 10 | पैरा संख्या 13 | अनिर्णीत | |

## भाग–दो

### 2 वर्तमान अंकेक्षण

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धमेटा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 5.5.2016 से 10.5.2016 के दौरान संस्था के कार्यालय परिसर में किया गया। आय की विस्तृत जांच के लिए माह 8/13, 3/15 व 7/15 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए माह 9/13, 9/14 व 7/15 चयनित किए गए।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री संजीव सहोत्रा प्रधानाचार्य संस्था में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे।**

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई की, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

## 3 अंकेक्षण शुल्क

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धमेटा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को भेजने हेतु संस्थान के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 66, दिनांक 10.5.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। संस्थान द्वारा इस राशि को बैंक ड्राफ्ट संख्या : 758211, दिनांक 17.5.2016 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।

## 4 वित्तीय स्थिति

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धमेटा द्वारा प्रस्तुत संस्थान की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही।

| वर्ष | आरम्भिक शेष | वर्ष में प्राप्त आय | वर्ष में प्राप्त ब्याज | जोड़ | व्यय | अन्तशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | 1282013 | 244770 | 86288 | 1613071 | 259362 | 1353709 |
| 2014–15 | 1353709 | 663782 | 95945 | 2113436 | 136620 | 1976816 |
| 2015–16 | 1976816 | 330707 | 93806 | 2401329 | 197865 | 2203464 |

**अन्तशेष का विवरण**

| | | |
|---|---|---|
| (क) | दिनांक 31.3.2016 को हि0प्र0 को स्टेट बैंक धमेटा के बचत खाता सं0 20022053935 में जमा राशि | 489253 |
| (ख) | दिनांक 31.3.2016 को सावधि में निवेशित राशि | 1712311 |
| (ग) | दिनांक 31.3.2016 को हस्तगत राशि | 1900 |
| | **कुल जोड़** | **₹2203464** |

## 5 निवेश

**दिनांक 31.3.2016 को संस्थान द्वारा सावधि में निवेशित ₹1712311 का विवरण निम्न प्रकार से है।**

| निवेश की तिथि | एफ0डी0आर0 न0व0 बैंक | निवेशित राशि | दर | अवधि | परिपक्वता राशि | परिपक्वता दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7.15 | 50061575873 के0सी0सी0 | 800000 | 8.75% | 1 साल | 872331 | 3.7.16 |
| 11.11.15 | 50062429413 के0सी0सी0 | 912311 | 7.5% | 1 साल | 982683 | 11.11.16 |
| | **कुल निवेशित राशि** | **₹1712311** | | | | |

## 6 रसीदों का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे

जांच के दौरान छात्रों की फीस वसूली हेतु प्रयोग में लाई गई रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में प्रयोग में लाई गई रसीद बुकों व शेष रसीद बुकों की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 7 वेतन के रूप में ₹31380 का अनियमित रूप से भुगतान करने बारे

वाउचर संख्या : शून्य, माह 7/2015 की जांच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा श्री गुलजारी लाल दैनिक वेतनभोगी सफाईकर्ता को अवधि 1/2015 से 6/2015 के कुल वेतन की ₹31380 का भुगतान छात्र कल्याण निधि से किया गया, जोकि निदेशक तकनीकी शिक्षा की अधिसूचना संख्याः EDN(TE)-A(3)–2/2014, दिनांक 8.7.2010 के अनुसार उक्त निधि पर उचित प्रभार नहीं है। उक्त राशि में से ₹12920 की प्रतिपूर्ति राजकीय कोष से कर ली गई थी, परन्तु शेष ₹18460 की वसूली राजकीय कोष से की जानी शेष है। अतः ₹18460 की वसूली राजकीय कोष से शीघ्र अति शीघ्र करके इसे छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 8 प्रतिभूति/जमानत राशियों को जब्त न करने बारे

प्रतिभूति/जमानत रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि नीचे दर्शाए गए विवरण के अनुसार छात्रों द्वारा संस्थान छोड़ने के एक वर्ष तक भी अपनी प्रतिभूति/जमानत राशियों को प्राप्त नहीं किया गया है। अतः प्रधानाचार्य को परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की विवरण पुस्तिका के नियम संख्याः 4.1 के नोट (क) के अनुरूप कार्रवाई करके इन राशियों को जब्त करने के उपरान्त छात्र कल्याण निधि के अंतर्गत हस्तांतरित/जमा करवाते हुए की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| क्रमांक | छात्र का नाम | ट्रेड का नाम | सत्र | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पुष्प देवी | आई0टी0एण्ड ई0एस0एम0 | 2012–14 | 500 |
| 2 | शमशेर सिंह | –यथोपरि– | 2012–14 | 500 |

## 9 अग्रिम रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे

संस्थान द्वारा अंकेक्षण के दौरान अग्रिम रजिस्टर जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में अग्रिम कब–कब दिया गया, कितना–कितना अग्रिम दिया गया, किस–किस प्रयोजन पर कितना–कितना व्यय अग्रिम से किया तथा कितनी राशि बची, इत्यादि महत्वपूर्ण तथ्यों की वास्तविकता की जांच नहीं की जा सकी। अतः अग्रिम रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट

किया जाए तथा अग्रिम रजिस्टर आगामी अंकेक्षण पर जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

## 10 अखबार की रद्दी की नीलामी न करने बारे

वाउचर संख्याः शून्य, माहः 10/2015 की जांच करने पर पाया गया कि मैसर्ज शशि पाल न्यूज एजेंसी धमेटा को ₹7572 का भुगतान अवधि 1/2013 से 9/2015 के लिए अखबार की खरीद हेतु किया गया, परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि में अखबार रद्दी की नीलामी तीन वर्षों में एक बार भी नहीं की गई है, जोकि उचित नहीं है। अतः अखबार रद्दी की नीलामी न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व रद्दी की नीलामी शीघ्र करके इससे प्राप्त आय को छात्र कल्याण निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 11 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अंकेक्षण की जांच करने पर पाया गया कि संस्थान के छात्र कल्याण निधि खाते में से क्रय किए गए सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना (Physical Verification) नहीं करवाई गई, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्येक वर्ष सत्यापना की जानी अपेक्षित थी। अतः नियमों की अनुपालना में स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अविलम्ब स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाकर भविष्य में भी वार्षिक सत्यापन करनी सुनिश्चित करते हुए की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

13 **निष्कर्ष :–** लेखाओं के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन सं0 :फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)11(2)–472/05, खण्ड–2–4764–4765, दिनांकः 05.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

**पंजीकृत** 1 प्रधानाचार्य, राजकीय ओद्यौगिक प्रषिक्षण संस्थान धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.